भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 217

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि

217. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधि व्यय करने में विफल रहने वाली हजारों कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा चूककर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;
(घ) क्या सरकार के पास विगत वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष में कंपनियों द्वारा व्यय की गई निधि का कोई रिकॉर्ड है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग) : कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में दर्ज सीएसआर व्यय से संबंधित सभी आंकडे www.csr.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अभिलेखों की जांच करने और/अथवा चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधि की सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। पिछले तीन वर्षों में 30 कंपनियों को दंडित किया गया है और उन पर 19.94 करोड़ रुपये की शास्ति लगायी गयी है।

(घ) और (ङ): पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनियों द्वारा राज्य-वार और विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः अनुलग्नक-I और II में है।

*****

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार	9.71	2.53	3.03
2.	आंध्र प्रदेश	663.50	986.77	1,129.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	13.36	39.57
4.	असम	406.42	474.96	488.62
5.	बिहार	178.97	241.41	260.53
6.	चंडीगढ़	51.19	18.44	113.31
7.	छत्तीसगढ़	317.70	609.08	422.73
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	18.27	23.22	30.17
9.	दिल्ली	1,198.50	1,517.07	1,949.95
10.	गोवा	45.43	60.91	85.79
11.	गुजरात	1,613.18	2,060.02	2,707.54
12.	हरियाणा	687.13	720.38	816.95
13.	हिमाचल प्रदेश	140.27	141.40	148.59
14.	जम्मू और कश्मीर	50.68	72.19	98.54
15.	झारखंड	243.95	389.65	414.63
16.	कर्नाटक	1,849.82	2,058.73	2,254.88
17.	केरल	241.58	362.85	387.91
18.	लक्षद्वीप	0.97	0.02	0.36
19.	लेह और लद्दाख	14.84	11.72	30.41
20.	मध्य प्रदेश	427.48	668.32	600.47
21.	महाराष्ट्र	5,407.40	5,705.54	6,065.95
22.	मणिपुर	15.62	53.60	83.19
23.	मेघालय	19.63	22.94	30.94
24.	मिजोरम	6.94	11.01	4.48
25.	नागालैंड	12.46	13.57	15.41
26.	ओडिशा	752.37	994.82	1,389.39
27.	पुडुचेरी	9.31	14.29	32.68
28.	पंजाब	185.41	263.51	351.89
29.	राजस्थान	713.85	1,122.65	1,145.67
30.	सिक्किम	28.24	36.18	41.87
31.	तमिलनाडु	1,441.03	1,637.12	1,968.76
32.	तेलंगाना	688.58	1,040.61	1,054.92
33.	त्रिपुरा	15.91	19.26	9.45
34.	उत्तर प्रदेश	1,345.02	1,213.12	1,545.01
35.	उत्तराखंड	228.09	307.60	360.76
36.	पश्चिम बंगाल	571.89	782.74	862.57
37.	पैन इंडिया*	5,789.58	6,104.58	6,960.21
38.	पैन इंडिया (अन्य केंद्रीकृत निधि)	1,631.01	1,145.78	1,000.83
39.	एनईसी/उल्लिखित नहीं*	0.09	10.12	1.06
कुल		**27,141.45**	**30,932.08**	**34,908.75**

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम विनिदष्ट नहीं किए थे या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया था जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

अनुलग्नक-II

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक विकास-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
1.	कृषि वानिकी	35.52	67.28	74.47
2.	पशु कल्याण	174.35	325.44	531.14
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	47.65	63.63	68.04
4.	कला और संस्कृति	260.39	449.21	704.04
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	274.90	584.65	423.47
6.	शिक्षा	6,719.89	10,414.93	12,134.57
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	2,441.82	2,008.04	2,429.97
8.	लैंगिक समानता	104.97	121.15	204.17
9.	स्वास्थ्य देखभाल	8,049.49	7,023.60	7,150.81
10.	आजीविका वृद्धि परियोजनाएं	880.50	1,703.64	2,360.09
11.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	1,903.78	1,282.73	1,233.93
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,847.07	2,059.41	2,408.09
13.	रख-रखाव पेयजल	192.34	252.78	327.45
14.	स्वच्छता	314.53	438.81	375.23
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	80.34	153.91	159.82
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	101.00	49.50	41.80
17.	अनाथालय की स्थापना	27.54	44.99	31.57
18.	स्लम क्षेत्र विकास	58.38	94.22	38.82
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	165.30	159.19	200.81
20.	विशेष शिक्षा	191.08	319.50	396.57
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	8.57	1.48	1.91
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	311.71	542.53	692.09
23.	व्यावसायिक कौशल	1,053.80	1,206.75	1,396.55
24.	महिला सशक्तिकरण	264.94	417.26	454.22
25.	केंद्र सरकार के अन्य फंड	1,631.01	1,145.78	1,000.83
26.	एनईसी/उल्लिखित नहीं	0.59	1.65	68.32
	कुल	27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों का संकेत दिया जहां परियोजनाएं शुरू की गईं